न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 169/2023

नत्थूराम पुत्र श्री मोडूराम जाति चमार आयु लगभग 58 वर्ष निवासी चक 16 जी छोटी, सागरवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. लीलूराम पुत्र श्री मोडूराम जाति चमार निवासी चक 16 जी छोटी, सागरवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. अंग्रेज कौर पत्नी मिठू सिंह जाति मजहबी सिख निवासी सागरवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. छिन्द्रपाल कौर पुत्री मिठू सिंह जाति मजहबी सिख निवासी सागरवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. बिन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त कौर पत्नी स्व. मलकीत सिंह पुत्री मिठू सिंह जाति मजहबी सिख निवासी सागरवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. जसविन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त कौर पत्नी स्व. मलकीत सिंह पुत्री मिठू सिंह जाति मजहबी सिख निवासी सागरवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
6. छिन्दा सिंह पुत्र जसवन्त कौर पत्नी स्व. मलकीत सिंह पुत्री मिठू सिंह जाति मजहबी सिख निवासी सागरवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. बलजीत कौर पुत्री जसवन्त कौर पत्नी स्व. मलकीत सिंह पुत्री मिठू सिंह जाति मजहबी सिख निवासी सागरवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
8. पुनू सिंह पुत्र मिठू सिंह जाति मजहबी सिख निवासी सागरवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
9. भीमचन्द पुत्र मिठू सिंह जाति मजहबी सिख निवासी सागरवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
10. महिमा सिंह पुत्र मिठू सिंह जाति मजहबी सिख निवासी सागरवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
11. वीरपाल कौर पुत्री मिठू सिंह जाति मजहबी सिख निवासी सागरवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
12. मखन सिंह पुत्र फिला सिंह जाति मजहबी सिख निवासी सागरवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री दिनेश छाबड़ा — प्रार्थी
2. श्री मोहन लाल माहर — अप्रार्थी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

3. अप्रार्थी संख्या 2 ता 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

— :: निर्णय ::—

दिनांक :— 07.07.2025

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन
किया कि प्रार्थी के नाम से कृषि भूमि वाके चक 16 जी छोटी तहसील वा जिला
श्रीगंगानगर, पटवार क्षेत्र जोधेवाला भू.अ. नि. क्षेत्र चूनावढ़ का खाता संख्या 44/40,
मुरब्बा नम्बर 20 का किला नम्बर 1 ता 1421 में कुल 3.5100 है. दर्ज रिकॉर्ड है।
जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का एकमात्र खातेदार
एवं काबिज काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से कृषि भूमि वाके चक 16 जी
छोटी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर, पटवार क्षेत्र जोधेवाला भू.अ.नि. क्षेत्र चूनावढ़
का खाता संख्या 66/ 56, मुरब्बा नम्बर 20 का किला नम्बर 14/2 से 25 में कुल
2.7520 है. अन्य भूमि के साथ दर्ज रिकॉर्ड है। यहां यह अंकित करना आवश्यक
होगा कि मुरब्बा नम्बर 20 का किला नम्बर 20 में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से किला
नम्बर 20/1 में 0.190 है. भूमि अर्थात 15 विस्वा भूमि दर्ज है। जमाबन्दी की
प्रमाणित प्रति संलग्न है। उक्त भूमि प्रार्थी के मुरब्बा में प्रार्थी की भूमि से चिपती हुई
कृषि भूमि है। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 12 के नाम से कृषि भूमि वाके चक 16 जी
छोटी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर, पटवार क्षेत्र जोधेवाला भू.अ.नि.क्षेत्र चूनावढ़ का
खाता संख्या 3/51, मुरब्बा नम्बर 20 का किला नम्बर 20/2 में 0.063 है. अर्थात 5
विस्वा अन्य भूमि के साथ दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त अप्रार्थीगण की 5 विस्वा भूमि पत्थर
लाईन पर स्थित है जो अप्रार्थीगण के कब्जा में एवं खातेदारी स्वामित्व में है।
जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। उक्त भूमि प्रार्थी के मुरब्बा में प्रार्थी की भूमि
से चिपती हुई कृषि भूमि है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि मुरब्बा
नम्बर 20 में चिपती हुई है। नजरिया ग्राफ नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी
अपनी कृषि भूमि में पूर्व में अर्सा दराज से चक 16 जी छोटी के मुरब्बा नम्बर 22 के
किला नम्बर 21 ता 25 एवं मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 21 से 25 में स्वीकृत
रास्ता से होकर अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 25 से
मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21 की कूंठ पर चल रहे दो विस्वा रास्ता से होकर
अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 12 के किला नम्बर 20 में स्थित 5 विस्वा भूमि में से पत्थर
लाईन से गुजर कर अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 11 में प्रवेश करता
है। मुरब्बा नम्बर 21 का किला नम्बर 13 ता 25 अप्रार्थीगण संख्या 2 से 12 की
खातेदारी कृषि भूमि है जिससे चिपती मुरब्बा नम्बर 20 का किला नम्बर 20 में 5
विस्वा भूमि अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 12 की है जो कि अप्रार्थीगण की मुरब्बा नम्बर
21 के किला नम्बर 16 से चिपती हुई है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत
नहीं होने के कारण अक्सर परेशानी उठानी पडती है ऐसी स्थिती में प्रार्थी को अपनी
भूमि चक 16 जी छोटी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर, पटवार क्षेत्र जोधेवाला भू.अ.
नि.क्षेत्र चूनावढ़ का खाता संख्या 66/56, मुरब्बा नम्बर 20 का किला नम्बर 14/2
से 25 में कुल 2.7520 है. में आने जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21
व 20 में पत्थर लाईन पर दो दो विस्वा नया रास्ता स्वीकृत करवाना आवश्यक हो

ण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

गया है उपरोक्त रास्ता अलावा अन्य कोई विकल्प अपनी भूमि में जाने के लिए रास्ता के तौर पर प्रार्थी को उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 20 की 2.7520 है. भूमि में आने जाने के लिए उक्त नया रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। कानूनन प्रार्थी को उसकी अपनी खातेदारी भूमि में रास्ता आने जाने हेतू उपलब्ध करवाया जाना एवं स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है जिसके विकल्प में प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 12 को रास्ता की भूमि की ऐवज में डी. एल. सी. दर की दुगुनी राशि अदा करने के लिए तैयार एवं तत्पर है। मौका नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थीगण की भूमि में से नया रास्ता स्वीकृत करवाये जाने हेतू मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने हेतू अन्यत्र कोई विधिसम्मत अथवा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थीगण को उक्त स्वीकृत करवाये जा रहे प्रस्तावित रास्ता के स्वीकृत होने की ऐवज में कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि मुआवजा स्वरूप देने के लिए तैयार व तत्पर है। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण को कई मरतबा जाकर निवेदन किया कि वे उपरोक्तानुसार मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21 व 20 में दो दो बिस्वा रास्ता को स्वीकृत करवाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद करवा लेवें जिससे कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि चिपती हुई मुरब्बा नम्बर 20 का किला नम्बर 11 में प्रवेश करने हेतू सुगम, सुविधाजनक एवं एकमात्र विकल्प के तौर पर स्वीकृत रास्ता उपलब्ध हो सके एवं इस हेतू प्रार्थी अप्रार्थीगण को रास्ता में आयी भूमि की पूर्ति डी. एल.सी. दर की दुगुनी राशि से करने हेतू भी तैयार व तत्पर है लेकिन अप्रार्थीगण के द्वारा ऐसा करने से दिनांक 10.07.2023 को कतई इन्कार कर दिया। अप्रार्थीगण की उक्त इन्कारी से ही प्रार्थी को मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद हेतूक उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 13 से भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर उक्त रास्ता रिकॉर्ड में स्वीकृत करने का निवेदन किये जाने पर उनके द्वारा माननीय से आदेश लाने का कहे जाने पर प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 13 के खिलाफ भी वाद हेतूक प्राप्त हुआ है। यहकि प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद एक रूपये की उचित कोर्टफीस पर प्रस्तुत है। लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की कृषि भूमि वाके वाके चक 16 जी छोटी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर, पटवार क्षेत्र जोधेवाला भू.अ. नि.क्षेत्र चूनावढ़ का खाता संख्या 66/56, मुरब्बा नम्बर 20 का किला नम्बर 21 में मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 25 से चिपता पत्थर लाईन पर दो बिस्वा रास्ता एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 से 12 के नाम की कृषि भूमि वाके चक 16 जी छोटी, तहसील वा जिला श्रीगंगानगर, पटवार क्षेत्र जोधेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र चूनावढ़ का खाता संख्या 3/51 मुरब्बा नम्बर 20 का किला नम्बर 20 में 0.063 है. में मुरब्बा नम्बर 21 का किला नम्बर 16 से चिपता हुआ दो बिस्वा रास्ता पत्थर लाईन पर स्वीकृत किया जाकर रिकॉर्ड में खोला जावे जिससे कि प्रार्थी अपनी चिपती भूमि मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 11 में प्रवेश कर सके। प्रार्थी विकल्प में भूमि की पूर्ति डी. एल. सी. दर की दुगुनी राशि से करने को तैयार है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् भी जवाब पेश नहीं करने पर अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 12 की विधिवत तामील होने एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 12 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के पर अप्रार्थी संख्या 2 ता 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

–:: आदेश ::–

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की कृषि भूमि वाके वाके चक 16 जी छोटी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर, पटवार क्षेत्र जोधेवाला भू.अ.नि.क्षेत्र चूनावढ़ का खाता संख्या 66/56, मुरब्बा नम्बर 20 का किला नम्बर 21 में मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 25 से चिपता पत्थर लाईन पर दो बिस्वा रास्ता एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 से 12 के नाम की कृषि भूमि वाके चक 16 जी छोटी, तहसील वा जिला श्रीगंगानगर, पटवार क्षेत्र जोधेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र चूनावढ़ का खाता संख्या 3/51 मुरब्बा नम्बर 20 का किला नम्बर 20 में 0.063 है. में मुरब्बा नम्बर 21 का किला नम्बर 16 से चिपता हुआ दो बिस्वा रास्ता पत्थर लाईन पर स्वीकृत किया जाकर रिकॉर्ड में खोला जावे जिससे कि प्रार्थी अपनी चिपती भूमि मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 11 में प्रवेश कर सके। वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बहस में कथन किए गये कि इस रास्ता के प्रकरण के अतिरिक्त एक अन्य दावा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर में विचाराधीन है जिसका अनवान रोशनी व अन्य बनाम नत्थुराम व अन्य मुकदमा नम्बर 2021/059 अन्तर्गत धारा 53, 88, 82ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है। वाद पत्र की प्रति एवं आदेशिका की प्रमाणित प्रति वास्ते अवलोकन प्रस्तुत है। जब उक्त विभाजन के दावा का निर्णय होगा तो उसी निर्णय में काश्तकारों को अपनी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता दिया जावेगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए को खारिज किया जावे। वकील प्रार्थी की जवाब बहस यह रही कि प्रार्थी को उसकी भूमि में जाने के लिए रास्ता का अभाव है, जो दावा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर में विचाराधीन है वह विभाजन का वाद है जो प्रारम्भिक स्टेज पर है और उसके निस्तारण में समय लगेगा। तब तक प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु जाने से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर में विचाराधीन वाद पत्र की प्रति एवं आदेशिका की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि खातेदारी घोषणा का दावा प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

व अप्रार्थी संख्या 1 दोनों के विरूद्ध तीसरे पक्ष का चल रहा है। जिसमें पहले खातेदारी अधिकारों की घोषणा तय होगी तत्पश्चात् विभाजन का बिन्दु प्रश्नगत होगा। रास्ता आत्यान्तिक आवश्यकता का मुद्दा है चिरकाल तक लम्बित नहीं रखा जा सकता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के अन्तर्गत प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की कृषि भूमि चक 16 जी छोटी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर, पटवार क्षेत्र जोधेवाला भू.अ.नि.क्षेत्र चूनावढ़ का खाता संख्या 66/56 के मुरब्बा नम्बर 20 का किला नम्बर 21 में मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 25 से चिपता पत्थर लाईन पर दो बिस्वा रास्ता एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 से 12 के नाम की कृषि भूमि वाके चक 16 जी छोटी, तहसील वा जिला श्रीगंगानगर, पटवार क्षेत्र जोधेवाला, भू. अ.नि. क्षेत्र चूनावढ़ का खाता संख्या 3/51 मुरब्बा नम्बर 20 का किला नम्बर 20 में 0.063 है. में मुरब्बा नम्बर 21 का किला नम्बर 16 से चिपता हुआ दो बिस्वा रास्ता पत्थर लाईन पर स्वीकृत किया जाता है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर रास्ते के मुआवजा स्वरूप प्रार्थी द्वारा डी.एल.सी. का दुगुनी राशि जमा करवाये जाने के पश्चात् राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन करना सुनिश्चित करें एवम् प्रार्थी द्वारा जमा करवाई गई डी.एल.सी. की दुगनी राशि सम्बन्धित पक्ष को अपने स्तर पर वितरित करे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, की उक्तानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिंनाक 07.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व एवं
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner